षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०	"राज्य के मध्याह्न भोजन रसोईया को साल के 12 महीने नहीं बल्कि 10 महीने का ही मासिक 1250 रूपये मानदेय दिया जाता है जबकि न्यूनतम मजदूरी की दर भी इससे कई गुणा अधिक है । महिला रसोईया से प्रधानाध्यापक द्वारा खाना बनवाने के साथ-साथ झाड़ू लगवाना, विद्यालय का ताला खोलने से लेकर ताला बंद करवाने तक का काम लिया जाता है । सरकार के निर्देशानुसार रसोईया को सुसज्जित किचेन उपलब्ध कराना है जबकि मधुबनी जिला सहित पूरे राज्य में विद्यालय के सबसे टूटे फूटे भाग को किचेन के लिये दे दिया जाता है । अतः मध्याह्न भोजन के रसोईया का मानदेय बढ़ाने, इनका कार्य खाना बनाने तक सीमित रखने तथा विद्यालय के लिये सुसज्जित स्वच्छ किचेन उपलब्ध कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-203) श्री रणविजय सिंह, स०वि०स०	"राज्य में कृषि बाजार समिति का विघटन वर्ष 2005 में हुआ था । वर्तमान में राज्य के कृषि बाजार समिति मुसल्लहपुर पटना, हाजीपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गुलाबबाग सहित राज्य में स्थापित बाजार समिति प्रांगणों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है । बाजार प्रांगणों में सड़क, सीवरेज के पानी का निकास एवं जलापूर्ति पाईप सभी ध्वस्त हो गये हैं । व्यापारी वर्ग एवं उपभोक्ता वर्ग दोनों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है । बाजार प्रांगण का चाहरदीवारी टूट गया है जिससे पूरा परिसर असुरक्षित है । अतः राज्य के सभी बाजार समिति प्रांगणों की सड़क, दुकान, सीवरेज के पानी का निकास एवं जलापूर्ति पाईप को पुनर्निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-4/17- 1373-1385 वि०स०, पटना, दिनांक-28 फरवरी, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.2.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-4/17- 1373-1385 / वि०स०, पटना, दिनांक-28 फरवरी, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28.2.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।